

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर।

पत्रांक :- 109 / 14-1 (FP/UP/Road/121197/2021) मुजफ्फरनगर दिनांक, 28/09.2022
सेवा में,प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर।

विषय:-

चौधरी चरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दायीं पटरी कि०मी० चैनल 51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या-(FP/UP/Road/121197/2021) के संबंध में।

सन्दर्भ:-

आर०ई०सी० दिनांक-15.09.2022 के कार्यवृत्त का पत्रांक-11 / 1092/आरईसी/2014-उ०प्र० (पार्ट-2)/521 दिनांक-21.09.2022, अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग मेरठ के पत्रांक-283/IC दिनांक-22.09.2022 एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-8वी०/यू०पी०/06/221/2021/एफ०सी०/536 दिनांक-26.09.2022।

महोदय,

चौधरी चरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दायीं पटरी कि०मी० चैनल 51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक-26.09.2022 द्वारा निम्नानुसार कतिपय अभिलेख/सूचनाओं की अपेक्षा की गयी है-

1. In Lieu of 222.98 ha forest land proposed to be diverted, 223.00 ha. non- forest land has been provided out of this only 41.36 ha. NFL is suitable for compensatory afforestation. Thus, the non-forest land needs to be rechecked and - forest land suitable for plantation and adjoining to forest blocks needs to be provided. If NFL is not available then to compensate, plantation in double the area in degraded forest land needs to be proposed.
2. Since huge tree felling is involved thus to compensate this, plantation along road side needs to be taken up (either along the same road along adjoining some other road)

उपरोक्तानुसार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक-26.09.2022 के बिन्दु संख्या-01 के अनुसार ललितपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु उपयुक्त पायी गयी 41.36 हे० गैर वन भूमि की पुनः उपयुक्तता जांचने हेतु एवं गैर वन भूमि की अनुपलब्धता की दशा में क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु दुगुनी अवतल वन भूमि उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक-26.09.2022 की प्रति आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्तानुसार सूचना / आवश्यक अभिलेख 07 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि विषयक प्रस्ताव में नियमानुसार अग्रतत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(कन्हैया प्रटेल)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

पत्रांक/109 / 14-1 (FP/UP/Road/121197/2021) दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश मेरठ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त मेरठ एवं सहारनपुर वृत्त सहारनपुर की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ एवं गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, मेरठ को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक-26.09.2022 की प्रति इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र के बिन्दु संख्या-2 (सडक किनारे पौधारोपण की परियोजना)से संबंधित सूचना 07 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि विषयक प्रस्ताव को नियमानुसार अग्रतत्तर कार्यवाही की जा सके।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-1, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कन्हैया प्रटेल)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



राष्ट्रीय वन विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ-226004
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-11, Aliganj, Lucknow-226004, Telefax-2326696
Email: roc2.Bho-meha@nic.in

पत्र सं०-8वीं/सू.पी./06/221/2021/एफ.सी. /536

दिनांक: 26.09.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
वापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Road/121197/2021

विषय: चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दांयी पटरी किमी० चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० का पत्रांक 954/11-सी-FP/UP/Road/121197/2021, दिनांक 12.09.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक 1278/81-2-2021-800(123)/2021 दिनांक 17.08.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से विषयांकित प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण को दिनांक 15.09.2022 को आहूत की गई क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में (REC Agenda item 70.1-UP) शामिल किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति के निर्णयानुसार कतिपय बिन्दुओं पर प्रेक्षाओं के कारण प्रकरण को deferred कर दिया गया है। अतः मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएं/जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे प्रकरण को आगामी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके:-

1. In lieu of 222.98 ha forest land proposed to be diverted, 223.00 ha non-forest land has been provided out of this, only 41.36 ha NFL is suitable for compensatory afforestation. Thus, the non-forest land needs to be rechecked and non-forest land suitable for plantation and adjoining to forest blocks needs to be provided. If NFL is not available then to compensate, plantation in double the area in degraded forest land needs to be proposed.
2. Since huge tree felling is involved thus to compensate this, plantation along road side needs to be taken up (either along the same road or along adjoining some other road).

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ) वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड(बिल्डिंग) लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]